"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 मई 2018 — वैशाख 13, शक 1940

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–01/आठ–परि./2018. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 68 की उप–धारा (5) सहपठित धारा 96 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है ।

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 66 में,–

(एक) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(क–क) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 या धारा 81 के अन्तर्गत "राजधानी बस सेवा" हेतु अनुज्ञापत्रों को स्वीकृत करना, नवीनीकृत करना या अस्वीकृत करना ;"

(दो) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"(ज) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्गो के स्वीकृत अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना।"

No F 5-01/VIII/Trans./2018. — In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 68 read with sub-section (2) of Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 66,-

(i) after clause (a), the following shall be inserted, namely:-

"(a-a) To grant, renew or reject the permits for "Rajdhani Bus Sewa" under Section 72 or Section 81 of the Motor Vehicles Act, 1988;"

(ii) after clause (g), the following shall be added, namely:-

"(h) To grant or refuse renewal of sanctioned permits of inter State Route under Section 81 of the Motor Vehicles Act, 1988."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पाल, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.